प्रेस विज्ञप्ति
12/08/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने 12.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसके तहत पंजाब में 22 निजी नशा मुक्ति केंद्रों द्वारा बीएनएक्स (ब्यूप्रेनोर्फिन/नालेक्सोन) दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ी धन शोधन जांच में डॉ. अमित बंसल और उनके परिवार के सदस्यों की 8.93 करोड़ रुपये मूल्य की 15 अचल संपत्तियां कुर्क की गई हैं।

ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा एनडीपीएस अधिनियम, 1985 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि अमित बंसल पंजाब में 22 निजी नशामुक्ति केंद्र चला रहा था और नशामुक्ति केंद्रों की आड़ में बीएनएक्स ड्रग्स खरीदकर उन्हें अवैध रूप से बेच रहा था, जिससे उसे भारी मात्रा में आपराधिक आय (पीओसी) प्राप्त हो रही थी। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाता है, लेकिन इन्हें अवैध रूप से बेचा गया और मादक द्रव्यों के सेवन के लिए दुरुपयोग किया गया। अवैध गतिविधियों से अर्जित पीओसी अस्पतालों के बैंक खातों में जमा किया गया और बाद में अमित बंसल और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा किया गया और अचल संपत्तियों की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया।

इससे पहले, इस मामले में 18.07.2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई में 4 स्थानों पर तलाशी ली गई थी और डॉ. अमित बंसल, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के बैंक बैलेंस के रूप में 21 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को 23.07.2025 के अनंतिम कुर्की आदेश के तहत कुर्क किया गया था।

आगे की जाँच जारी है।